फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बायतु

धूदेवी बनाम सरपंच ग्राम पंचायत कोसरिया वगैरा

न मुकदमा 81 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 नं. 03/2020 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
01.01.2020	प्रार्थीनी की ओर से वकील श्री रिणछाराम सियाग द्वारा यह आवेदन धारा 81 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीनी को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। वकील प्रार्थीनी के अनुसार प्रार्थी व विप्रार्थीगण संख्या 2 से 5 की पैतृक खातेदारी कब्जा काश्तशुदा कृषि भूमि मौजा हुड्डों की ढ़ाणी पटवार मण्डल कोसरिया में आई हुई है। वर्तमान में विप्रार्थीगण 2 से 5 प्रार्थीनी को बेदखल व उक्त भूमि का हस्तान्तरण करने पर आमादा है और यदि ऐसा हो गया तो अपील की बहुलता बढ़ेगी। वकील प्रार्थीनी की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीनी के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थी संख्या 2 से 5 को आगामी पेशी तारीख 03.02.2020 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी मौजा हुड्डों की ढ़ाणी पटवार मण्डल कोसरिया तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 119/318 रकबा 76.00 बीघा भूमि में विप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलअन्दाजी, व्यवधान कारित नहीं करें, न किसी प्रकार का कच्चा–पक्का निर्माण करें तथा मौके व रैकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। विप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 03.02.2020 को पेश हों। विवेक व्यास 1/1/2020 सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vya
Date: 2020.11.19 13:16:05 I
Reason: SelfAttested

03/02/2020

प्रार्थीनी के वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है। विप्रार्थी संख्या-3 व 4 की ओर से मूल अपील में वकील श्री घमण्डाराम सा० द्वारा वकालतनामा पेश किया गया तथा प्रार्थीनी अणसीदेवी पत्नि शिवराम की ओर से वकील श्री नरपत सिंह द्वारा वकालतनामा मय प्रार्थना-पत्र O-1, R-10 CPC वास्ते संयोजित करने पश्चात् मूल अपील में पेश किया गया। अतः वास्ते जवाब व विप्रार्थीगणों की एडी के इन्तजार में पत्रावली दिनांक 04/03/2020 को पेश हो। तबतक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।

विवेक व्यास

04/03/2020

प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या-3 व 4 के अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया, जवाब पेश करना चाहते हैं अतः पत्रावली विप्रार्थी संख्या-3 व 4 के जवाब व शेष की तामील के इन्तजार में दिनांक 15/04/2020 को पेश हो। तबतक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।

विवेक व्यास

15/04/20

पत्रावली आज पेश हुई। कोविड-2019 के चलते कोर्ट नहीं लिया गया। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्य में व्यस्त होने से श्रीमान् से मिसल इजलास होकर आगामी दिनांक 20.07.2020 को पेश हो। तबतक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 13:16:05 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/07/2020	प्रार्थिनी व विपार्थी संख्या-3 व 4 के वकील उपस्थित। प्रार्थिनी की मूल अपील अवेट में खारीज हो चुकी है इसलिए आवेदन का कोई औचित्य नहीं रहता है। अतः प्रार्थिनी का आवेदन इसी स्टेज पर खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। विवेक व्यास सहायक कलक्टर (SDO)	रुखसत

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 13:16:05 IST
Reason: SelfAttested